

Duplicate Copy

12-Apr-2024

आदेश

तिथि

Jan 30 2024

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा भूदा थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
20	847	0 एकड़, 2.75 डिसमील, 0 हेक्टर
20	848	0 एकड़, 2.95 डिसमील, 0 हेक्टर
20	849	0 एकड़, 2.7 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
RAMBHA KUMARI	पिता	WIFE OF SRI RAM CHANDRA SHASTRI
RAM CHANDRA SHASTRI	पिता	LATE UDIT NARAYAN SHASTRI

है जिन्होंने निवंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 2023/DHAN/7338/BK1/6664 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रियत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्रीमती रंभा कुमारी	पति	श्री रामचन्द्र शास्त्री
श्री राम चन्द्र शास्त्री	पिता	श्री उदित नारायण शास्त्री

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **11 रुपये****स्वीकृत**

किया जाता है।

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

GYANENDRA

अंचलाधिकारी धनबाद